(39)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,

प्रशासकीय सदस्य

एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/3859 विरुद्ध आदेश दिनांक 25.09.2017 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 08/अ-70/2016-17

रमेश कुमार शर्मा आ0 श्री कमला प्रसाद
नि0- अहमदपुर रोड विजय नगर
तहसील व जिला विदिशा (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

प्रकाश नारायण आ0 श्री कमला प्रसाद
निवासी- ग्राम देवराजपुर तह0 व जिला विदिशा .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ.पी. सक्सैना
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण मानवीय

आदेश

(आज दिनांक 21/09/18 **को पारित)**

यह निगरानी तहसीलदार तहसील व जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 08/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम देवराजपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 123/3/3 के अंश भाग रकबा 0.262 हे. पर उत्तर दिशा की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा तक 0.052 हे. पर दक्षिण दिशा की ओर आवेदक का अवैध कब्जा पाये जाने से तहसीलदार तहसील व जिला विदिशा

(3)

के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा-250 के तहत प्रस्तुत कर कब्जा दिलाए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर विधिवत कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 25.09.2017 द्वारा आवेदक का कब्जा सिद्ध होने से आवेदक को एक सप्ताह में स्वत: मौके से बेदखल होने के आदेश दिए। तहसीलदार विदिशा के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 250 के प्रावधानों को समझने में भूल की है । संहिता की धारा 250 के अनुसार जब तक संपूर्ण गवाही नहीं हो जाती और उससे अवैध कब्जा सिद्ध नहीं हो जातपा तब तक कब्जा नहीं दिलाया जा सकता । जबकि इस प्रकरण में किसी पक्ष की कोई गवाही नहीं हुई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार ने आदेश पारित करने में जल्दबाजी की है क्योंकि उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसे अनावेदक के आवेदन पर सुधारा गया है जबकि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना उसमें सुधार नहीं किया जा सकता था ।

यह तर्क भी दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि उन्होंने अंतरिम आदेश द्वारा जो कब्जा दिलाए जाने का आदेश दिया है वह आदेश अंतिम आदेश की श्रेणी में आता है ।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण संहिता की धारा 250 का है। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा दोनों पक्षों को सुने जाने एवं सीमांकन प्रतिवेदन/पंचनामा आदि का अवलोकन करने के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का बेजा कब्जा सिद्ध होना पाते हुए राजस्व निरीक्षक /हल्का पटवारी को आदेश दिए हैं कि वे प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक को बेदखल कर अनावेदक को विधिवत कब्जा सौंप कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं प्रकरण आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है । प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर